

विमान प्रवाह परामर्श व विमान उड़ान के
 की जाने पर वह परीक्षण परीक्षा
 इस प्रति संकेत के ह एवं पर 5
 लाने बरकरा प्रत्येक विमान 500
 प्रती संकेत के अधिकतम 7 की
 अन्तर्गत विमान प्रवाह प्रीक्षण के
 नहीं है उच्चतम की परीक्षा में प्रथम
 10 प्रत्येक के 13/8/19 को प्रथम प्रथम

उपस्थित अधिकारी घोद मु. सीकर

13/8/19

परामर्श के 5 की उड़ान की 1 एएडव
 PO परामर्श के 2 एएडव 13/8/19
 एएडव 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19

23/8/19

परामर्श के 13/8/19 को 13/8/19
 और ले अप्रति संकेत 13/8/19 को
 प्रत्येक विमान को 13/8/19 को
 परामर्श के 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19

13/8/19

उपस्थित अधिकारी घोद मु. सीकर
 के 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19

27/8/19

परामर्श के 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19
 के 13/8/19 को 13/8/19



उपस्थित अधिकारी
 घोद मु. सीकर

साधारण नियम (दाण्डिक), नियम 1980

प्ररूप संख्या XXVI

(नियम 142 और 159)

अभिलेख के प्रेषण के लिए प्ररूप

प्रेषक:

उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु. सीकर

प्रेषित:

श्रीमान् भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर (राज.)

क्रमांक / / रीडर / 2019

तारीख: सितम्बर, 2019

आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 82/19 उनवान गोपाल कंवर बनाम श्रीपालसिंह में आपका अध्यपेक्षा पत्र संख्या फा./अपील/82/19/4356 तारीख 26.09.2019 द्वारा प्राप्त हुआ था। अनुसरण में निम्न अभिलेख इसके साथ अग्रेषित किया जाता है। कृपया इससे संलग्न इस पत्र की दूसरी प्रति पर अभिलेख की प्राप्ति अभिस्वीकृति करें। मूल अभिलेख, इसकी आवश्यकता समाप्त होने के पश्चात्, कृपया अविलम्ब वापिस किया जावे।

क्र. सं.	भेजे गये अभिलेखों की विशिष्टियां					टिप्पणियां
	न्यायालय का नाम	संख्या और वर्ष	प्रकरण की किस्म	शीर्षक	निपटारे की तारीख	
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर	177/2012 (नया नं. 296/2014)	दावा	श्रीपालसिंह बनाम भंवरसिंह आदि	28.05.2016	-

संलग्न- कुल पृष्ठों सहित मूल पत्रावली



Riy
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

अभिलेख-प्राप्ति की अभिस्वीकृति

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

ऊपर वर्णित दिया गया अभिलेख इस न्यायालय मेंको प्राप्त हुआ था और अभिलेख-प्राप्ति के रजिस्टर में संख्या तारीख के अधीन प्रविष्ट कर लिया गया है।

तारीख

सत्यमेव जयते

पद

Web Copy - Not Official

साधारण नियम (दाण्डिक), नियम 1980

प्ररूप संख्या XXVI

(नियम 142 और 159)

अभिलेख के प्रेषण के लिए प्ररूप

प्रेषक:
उपखण्ड अधिकारी,
धोद मु. सीकर

प्रेषित:
श्रीमान् भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर (राज.)

क्रमांक / /रीडर / 2019

तारीख: सितम्बर, 2019

आपके न्यायालय के प्रकरण संख्या 82/19 उनवान गोपाल कंवर बनाम श्रीपालसिंह में आपका अध्यपेक्षा पत्र संख्या फा./अपील/82/19/4356 तारीख 26.09.2019 द्वारा प्राप्त हुआ था। अनुसरण में निम्न अभिलेख इसके साथ अग्रेषित किया जाता है। कृपया इससे संलग्न इस पत्र की दूसरी प्रति पर अभिलेख की प्राप्ति अभिस्वीकृति करें। मूल अभिलेख, इसकी आवश्यकता समाप्त होने के पश्चात्, कृपया अविलम्ब वापिस किया जावे।

क्र. सं.	भेजे गये अभिलेखों की विशिष्टियां					टिप्पणियां
	न्यायालय का नाम	संख्या और वर्ष	प्रकरण की किस्म	शीर्षक	निपटारे की तारीख	
1	2	3	4	5	6	7
1	उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर	177/2012 (नया नं. 296/2014)	दावा	श्रीपालसिंह बनाम भंवरसिंह आदि	28.05.2016	-

संलग्न- कुल पृष्ठों सहित मूल पत्रावली



[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर
उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

अभिलेख-प्राप्ति की अभिस्वीकृति

ऊपर वर्णित दिया गया अभिलेख इस न्यायालय मेंको प्राप्त हुआ था और अभिलेख-प्राप्ति के रजिस्टर में संख्या तारीख के अधीन प्रविष्ट कर लिया गया है।

तारीख

.....

पद